रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No D (D N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 1983/आषाढ़ 1, 1905
No 275] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 1983/ASADHA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1983

का०आ० 465 (अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है—

आदेश

बंबई के श्री फूल सिंह वी० वानवे द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 11 अक्तूबर 1982 की अर्जी के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न उठा है कि क्या महाराष्ट्र राज्य में नंदूरबार (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के आसीन सदस्य श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नासिक के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हित हो गए हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन उक्त प्रश्न के प्रति निर्देश करते हुए निर्वाचन आयोग की राय मांगी है।

निर्वाचन आयोग ने अपनी राय दी है (उपाबंध देखिए) कि उक्त श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नासिक के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हुए हैं।

अतः मैं जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि उक्त श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हुए हैं।

जैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली, तारीख 18 जून, 1983

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1982 का निर्देश मामला सं० 8

[भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन किया गया निर्देश]

महाराष्ट्र से लोक सभा के आसीन सदस्य श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत की अभिकथित निरर्हता के मामले में

राय

भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त इस निर्देश में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या लोक सभा के आसीन सदस्य श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "कारपोरेशन" कहा गया है) के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 192 (1) (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हित हो गए हैं।

2. यह प्रश्न बंबई के श्री फूल सिंह बी० वाम्बे ने अपनी तारीख 14 अक्तूबर, 1982 की अर्जी द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष उठाया है।

3. सुसंगत तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

श्री एम० एच० गावीत महाराष्ट्र में नंदूरबार (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नवंबर 1981 में लोक सभा के लिए उपनिर्वाचन में निर्वाचित हुए थे।

श्री गावीत को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नासिक के अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन की उप विधि सं० 49 के उपबंधों के अधीन तारीख 19 जनवरी 1982 के एक संकल्प द्वारा नामनिर्देशित किया था।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :—

(1) क्या उक्त निगम के अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अर्थांतर्गत महाराष्ट्र सरकार के अधीन पद है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त पद लाभ का पद है ?

(3) क्या संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 पद के धारक को निरर्हता से बचाता है ?

(4) क्या उक्त निगम के अध्यक्ष के पद पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के उपबंध लागू होते हैं ?।

5. अर्जीदार और विरोधी पक्षकार ने अपने-अपने शपथ पत्र लिखित कथन और प्रत्युत्तर फाइल किए।

6. सुनवाई 9 अप्रैल 1983 को बंबई में की गई। अर्जीदार या उसका काउन्सेल सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए। प्रत्यर्थी के काउन्सेल श्री डी० एल० पाटिल, अधिवक्ता को सुना गया।

7. विवाद्यक सं० 1

इस पर विवाद नहीं है कि श्री गावीत की नियुक्ति सरकार के 19 जनवरी 1982 वाले संकल्प द्वारा की गई थी। यह संकल्प महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम में किया गया तात्पर्यित है।

8. उक्त निगम की उपविधि सं० 49 जिसके अधीन संकल्प पारित किया गया है निम्नलिखित रूप में है :—

"49. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।"

निःसंदेह उक्त निगम महाराष्ट्र कोआपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। रजिस्ट्रीकरण के कार्य से उक्त निगम निगमित निकाय हो गया है और इसका पृथक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकारी है और सामान्य मुद्रा है। किंतु ऊपर उल्लिखित उपविधि के अधीन श्री एम० एच० गावीत को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया है और इसलिए साधारण शक्तियों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को उन्हें उक्त पद पर से हटाने की शक्ति है। अतः आयोग की राय में श्री गावीत अध्यक्ष के रूप में पद महाराष्ट्र सरकार के अधीन धारण कर रहे हैं।

9 विवाद्यक सं० 2

अर्जीदार की दलील है कि उक्त कारपोरेशन ने श्री एम०एच गावीत को चालक द्वारा चलाई जाने वाली कार दी है जो हर समय विरोधी पक्षकार के पास रहती है और वह उक्त निगम से पारिश्रमिक और भत्ते भी लेते हैं। उसने यह भी कहा है कि उसे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि उक्त निगम ने उन्हें मुफ्त टेलीफोन दिया है, क्योंकि वह उक्त निगम के अध्यक्ष हैं।

10. श्री गावीत ने अपने लिखित कथन में, जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी है इस बात से इन्कार किया है कि वह पारिश्रमिक लेते हैं। अपने कथन के समर्थन में श्री गावीत ने उक्त निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इस आशय का है कि श्री गावीत को उनके नाम निर्देशन की तारीख अर्थात् 19 जनवरी, 1982 से अब तक किसी पारिश्रमिक या भत्ते का संदाय नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष के पद के लिए किसी वेतन या भत्ते के संदाय का कोई उपबंध नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कारपोरेशन की उपविधियों के उपबंधों से इस स्थिति को समर्थन मिलता है। निगम की उपविधि 50 में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशकों से भिन्न निदेशक, निदेशक बोर्ड, कार्यकारिणी समिति या उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र कोआपरेटिव सोसाइटीज रूल्ज, 1961 के नियम 107 (क) के अनुसार अपने यात्रा भत्ते और बैठक फीस का संदाय प्राप्त करने के हकदार है। इस से यह विवक्षित होता है कि सरकार द्वारा नामनिर्देशित अध्यक्ष यात्रा या बैठक फीस या पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है। उक्त निगम द्वारा दिया गया यह प्रमाण-पत्र भी है कि अध्यक्ष किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

11. श्री गावीत ने अपने लिखित प्रत्युत्तर कथन में अध्यक्ष को टेलिफोन और स्टाफ कार की सुविधा दिए जाने की बाबत से इनकार नहीं किया है। साथ ही अभिलेख में यह दर्शित करने वाली कोई बात नहीं है कि टेलीफोन और स्टाफ कार का उपयोग उक्त निगम के कार्य से संबंधित प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री गावीत ने कोई यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते नहीं लिए है, किसी प्रतिकूल बात के अभाव में यह निष्कर्ष निकालना युक्तियुक्त है कि श्री गावीत ने टेलिफोन या स्टाफ कार की सुविधा का उपयोग अपने वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया है। इसलिए, यह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि इन सुविधाओं से धनीय अभिलाभ या लाभ प्राप्त होता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अभिनिर्धारित करता हूं कि उक्त निगम के अध्यक्ष का पद महाराष्ट्र सरकार के अधीन स्वतः लाभ का पद नहीं है।

12. **विवाद्यक सं० 3**

विवाद्यक सं० 2 की बाबत निष्कर्षों को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या उक्त निगम के अध्यक्ष के पद को संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959, बचाता है।

13 **विवाद्यक सं० 4**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 निम्नलिखित रूप में है :—

"**सरकारी कंपनी के अधीन पद के लिए निरर्हता**:— कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि और जब तक वह (सरकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कंपनी या निगम का, जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है।"

14. उक्त उपबंध को पढ़ लेने से ही यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि यह सहकारी सोसाइटी को उन उपबंधों की परिधि से पूर्ण रूप से छूट देता है। उक्त निगम ऊपर बताए गए कारणों से निःसंदेह सहकारी सोसाइटी है। श्री गावीत निगम के अध्यक्ष का ही पद धारण कर रहे हैं। इस दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 वर्तमान मामले को लागू नहीं होती। तदनुसार इस विवाद्यक का विनिश्चय अर्जीदार के विरुद्ध किया जाता है।

15. ऊपर उल्लिखित कारणों से मेरी यह राय है और मैं तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री मानिक राव होल्ड्या गावीत महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ट्राइबल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नासिक का अध्यक्ष पद धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हित नहीं हुए है।

नई दिल्ली,
26 अप्रैल, 1983

आर० के० त्रिवेदी,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[एफ० 7(24)/83-वि० II]
रु० वें० सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1983

S.O. 469(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a question has arisen before the President as a result of the petition dated the 14th October, 1982 presented to the President by Shri Pulsing V. Vasave of Bombay, as to whether Shri Manikrao Hodlya Gavit, a sitting member of the House of the People from Nandurbar (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra has become subject to the disqualification under article 102(1)(a) of the Constitution or section 10 of the Representation of the People Act, 1951, read with article 102(1)(e) of the Constitution for holding the office of the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation Limited Nashik;

And whereas the President of India has sought the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution with reference to the said question;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Manikrao Hodlya Gavit has not become subject to any disqualification for being a Member of the House of People under article 102(1)(a) of the Constitution or section 10 of the Representation of the People Act, 1951, read with article 102(1)(e) of the Constitution by reason of his holding the office of the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Tribunal Development Corporation Limited, Nashik;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by article 103 of the Constitution, I, Zail Singh, President of India, do hereby decide in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Manikrao Hodlya Gavit has not become subject to the disqualification mentioned in article 102(1)(a) of the Constitution or section 10 of the Representation of the People Act, 1951, read with article 102(1)(e) of the Constitution for being a Member of the House of People.

ZAIL SINGH
President of India

Rashtrapati Bhavan.
New Delhi, the 18th June, 1983.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 8 of 1982

(Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution).

In re : Alleged disqualification of Shri Manikrao Hodlya Gavit, a sitting member of the Lok Sabha from Maharashtra.

OPINION

This reference from the President of India raises the question whether Shri Manikrao Hodlya Gavit, a sitting member of Lok Sabha, has become subject to the disqualification under article 102(1)(a) of the Constitution or section 10 of the Representation of the People Act, 1951 read with Article 102(1)(e) of the Constitution, for holding the office of the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Tribal Developement Corporation Limited (hereinafter referred to as "Corporation"), Nashik.

2. The question before the President has been raised by Shri Pulsing V. Vasave, of Bombay, by his petition dated 14th October, 1982.

3. The relevant facts briefly are as under :—

Shri M. H. Gavit was elected to the Lok Sabha at the bye-election from Nandurbar (ST) Parliamentary Constituency in Maharashtra, in November, 1981.

Shri Gavit was nominated by the Govt. of Maharashtra as the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation Limited, Nashik, by a resolution dated 19th January, 1982, under the provision of Bye-law No. 49 of the Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation.

4. On the pleadings of the parties, the following issues were framed for consideration :—

1. Whether the office of the Chairman of the said Corporation is an office under the Govt. of Maharashtra within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution ?

2. If so, whether the said office is an office of profit ?

3. Whether the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, saves the holder of the office from any disqualification ?

4 Whether the office of the said Chairman of Corporation attracts the provisions of section 10 of the Representation of the People Act, 1951 ?

5. The petitioner and the opposite party file their affidavits, written statements and the rejoinders.

6. The hearing was held at Bombay on 9th April, 1983. The petitioner or his counsel did not attend the hearing. The counsel of the respondent, Shri D. L. Patil, Advocate, was heard.

7 Issue No. 1

It is not disputed that the appointment of Shri Gavit has been made by the resolution of the Govt. dated 19th January, 1982. This resolution purports to have been made by an order and in the name of the Governor of Maharashtra.

8. Bye-law No. 49 of the said Corporation under which the resolution has been passed reads as follows :—

"49. The Chairman and Vice Chairman shall be nominated by Government of Maharashtra. The Chairman shall preside over the meetings. In his absence, the Vice-Chairman shall preside. In the absence of the Chairman and Vice-Chairman, the Directors present at a meeting shall elect one of themselves a Chairman of the meeting".

The said Corporation is no doubt registered under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960. By the act of registration, the said corporation has become a body incorporated and has a separate entity with perpetual succession and common seal. However under the above mentioned bye-law, Shri M. H. Gavit has been nominated by Govt of Maharashtra, and therefore by virtue of general powers, the Govt. of Maharashtra has the power to remove him from that office. Therefore, in the opinion of the Commission, Shri Gavit is holding the office as Chairman under the Govt. of Maharashtra.

9. Issue No. 2

The contention of the petitioner is that Shri M. H. Gavit has been provided by the said Corporation a chauffour driven car which is all the times with the opposite party, and that he draws remuneration and allowances from the said Corporation. He also states that he reasonably believes that the said Corporation has given him a free telephone since he is the Chairman of the said Corporation.

10. Shri Gavit, in his written statement, supported by an affidavit, denies that he draws any remuneration. In support of his statement, Shri Gavit has enclosed a certificate from the Managing Director of the said Corporation which is to the effect that Shri Gavit has not been paid any remuneration or allowances from the date of his nomination i.e. 19th January, 1982 till now. The certificate further states that there is no provision to pay either salary or remuneration for the post of Chairman. This position seems to derive support by the provisions in the bye-laws of the said Corporation. Bye-law 50 of the Corporation states that the Directors, other than those nominated by the Govt., shall be entitled to be paid their travelling allowance and sitting fees as per Rules 107 (A) of M. C. S., Rules, 1961 for attending the meetings of the Board of Directors of Executive Committee or Sub-committee attended by them. This implies that the Chairman who has been nominated by the Govt. is not entitled to receive any travelling or sitting fee or any remuneration. There is also a certificate granted by the said corporation that the Chairman is not entitled to any remuneration.

11. In his written rejoinder statement, Shri Gavit has not denied the provision of the facility of telephone and staff car to the Chairman. At the same time there is nothing on record to show that the telephone and the staff car have been used for purposes other than official purposes connected with the affairs of the said corporation. Having regard to the fact that Shri Gavit has not drawn any T.A. or other allowances, it is reasonable to conclude, in the absence of anything to the contrary, that Shri Gavit has not used the facility of telephone and staff car for his personal purposes. There is, therefore, no question of these facilities being treated as giving pecuniary gain or profit. In view of this position, I hold that the Chairman of the said Corporation is not an office of profit per se under the Govt. of Maharashtra.

12. Issue No. 3

In view of the finding in respect of issue No. 2, the question as to whether the office of the Chairman of the said Corporation is saved by the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 does not arise.

13. Issue No. 4

Section 10 of the *Representation of the People Act, 1951* reads as follows : —

> "Disqualification for office under Government Company :—A person shall be disqualified if and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty five per cent share."

14. A reading of the above provision would clearly indicate that it completely exempts a cooperative society from the ambit of those provisions. The said Corporation is undoubtedly a cooperative society for the reasons stated above. Shri Gavit is only holding the post of the Chairman of the Corporation. In this view, section 10 of the Representation of the People Act, 1951 is not attracted in the present case. This issue is accordingly decided against the petitioner.

15. For the reasons above, I am of the opinion and accordingly hold, that Shri Manikrao Hodlya Gavit has not become subject to any disqualification under article 102(1)(a) of section 10 of the Representation of the People Act, 1951 read with article 102(1)(e) of the Constitution by reason of his holding the office of the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation Limited, Nashik.

New Delhi,
April 26, 1983

R. K. TRIVEDI,
Chief Election Commissioner of India

[F. No. 7(24)/83-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

362 GI/83 2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983